कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ

सूचना

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी–02, चौकीदार–01, सफाईकर्मी–01) के कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000.00, 5000.0 व 2000.00 रूपये पर अस्थाई रूप से 28.02.2019 तक के लिए नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जानी है। तदहेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाने की अन्तिम तिथि 25.10.2018 है।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

मऊ।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ आउट सोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें।

सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिगण (चपरासी–2, चौकीदार–1, पद व सफाई–1 पद) कुल 4 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–रूपये, 5000/–रूपये व 2000/– रूपयें पर अस्थायी रूप से दिनांक–28.02.2019 तक के लिए नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई–पेमेन्ट/ चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे। सम्बधिन्त कर्मचारी और प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में स्वयं कोई व्यवहार अथवा पत्राचार नही हो सकेगा।

1. उपरोक्त अस्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होगी–

(I) चपरासी – हाईस्कूल

(II) चौकीदार – 8 पास

(III) सफाईकर्मी– 5 पास

उपरोक्त के अतिरिक्त उनके अच्छे आचरण एवं चाल–चलन वाला आज्ञाकारी व विनम्र होना अनिवार्य है।

2. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का कोई अपराधिक इतिहास और उस पर अनैतिक आचरण का कोई आरोप नही होना चाहिए।
3. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गये कर्मचारी जनपद मऊ का मूल निवासी होना चाहिए।
4. आवेदन निःशुल्क है।
5. आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए0डी0आर0, मऊ के कार्यलय दिनांक 25.10.2018 को सायं 5:00 बजे तक जमा किया जा सकेगा।
6. सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ से मु0–100/– रूपये के स्टैम्प पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निश्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति के आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।
7. सेवा प्रदाता की सेवा संतोशजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर समाप्त कर दी जायेगी।

दिनांक 11.10.2018

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

मऊ

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधि